संलग्नक–I

कार्यालय केन्द्रीय नजारत, सिविल कोर्ट बलिया।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बलिया जजी में राज्य सरकार के शासनादेश संख्या 1963/सात–न्याय–2000–41 जी/97 दिनांकित 19.10.2000 सपठित शासनादेश संख्या–15/2016/1111/सात–न्याय–2–2016–41 जी/97 दिनांकित 10.08.2016 के अनुसार 9 स्वीपरों की नियुक्ति संविदा के आधार पर अंशकालिक रूप में नियत वेतन– 6000–/ रूपये प्रतिमाह पर करने हेतु स्वीकृत हुआ है।

अतः जिन महानुभावों को संविदा के आधार पर अंशकालिक रूप में प्रतिमाह 6000–/ रूपये प्रतिमाह पारिश्रमिक पर स्वीपर का कार्य करना हो, वे लोग दिनांक 28.03.2024 तक आवेदन पत्र निम्न शर्तो के अधीन केन्द्रीय नजारत में आवेदन दे सकते हैं।

नियुक्ति की शर्तेः–

1– अभ्यर्थी किसी अन्य विभाग में स्थाई या संविदा पर सेवारत अनुबन्ध अवधि में नही होगा।

2– आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

3– संविदा से नियुक्त होने पर शपथपत्र देना होगा कि अभ्यर्थी पर कोई आपराधिक वाद/विवेचना या विचारण लम्बित नही है तथा किसी अपराध में दोषसिद्ध नही हुआ है।

4– आवेदक के पास एक से अधिक जिवित पत्नी/पति नहीं होने चाहिए।

5– यदि यह संज्ञान में आता है कि आपके विरूद्ध कोई फौजदारी वाद लंबित है अथवा किसी फौजदारी वाद में सजा दी गयी है तो नियुक्ति अधिकारी अपका संविदा निरस्त करने के लिये अधिकृत होगा।

6– आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

7– चयन होने पर दो प्रतिष्टित व्यक्तियो द्वारा निर्गत सदाचार व चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8– आवेदक न्यूनतम कक्षा 6 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि प्रमाण पत्र तथा उपरोक्त शर्त एवं प्रमाण पत्र के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9– आवेदक को संविदा के आधार पर नियुक्त होने पर इस आशय का मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का चिकित्सीय प्रमाण पत्र देना होगा कि मैं सेवा हेतु शारीरिक रुप से स्वस्थ हूँ नियुक्ति होने पर शासकीय कार्य सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के साथ सम्पादिक करुंगा।

10– **संविदा पर कार्य हेतु उपयुक्तता/चयन का अर्थ शासनादेश संख्या 1963/सात–न्याय–2000–41 जी/97 दिनांकित 19.10.2000 के अनुसार संविदा के आधार पर अंशकालिक रुप से नियत वेतन पर नियुक्त स्वीपर किसी भी दशा में पूर्णकालिक नियमित नियुक्ति नही की जायेगी।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिला जज बलिया के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

2– जिलाधिकारी के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

3– सेवा नियोजन कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

4– जिला परिषद बलिया के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

5– नगर पालिका बलिया के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

6– जनपद न्यायालय बलिया के वेबसाइट पर।

7– स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।

9.3.2024

(प्रथम कान्त)

अध्यक्ष, उप चयन समिति/

विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/

कोर्ट सं०–8 बलिया

संलग्नक-II

<u>जनपद न्यायालय बलिया में अंशकालिक संविदा स्वीपर की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।</u>

शासनादेश सं0 1963/सात-न्याय-2000-41जी/97 दिनाकिंत 19।10।2000 के निर्देशानुसार सृजित पद

आवेदित पद का नाम: अंशकालिक संविदा स्वीपर

नवीनतम् पासपोर्ट साईज फोटो

1- **आवेदक का नाम**..

2- **पिता/पति का नाम** ....

3- **जन्मतिथि**..

4- **आवेदित पदनाम**...

5- **पता** **क** स्थायी पता..
....
ख- अस्थायी पता..
....

6- **आयु-** प्रथम जनवरी 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। ऐसे व्यक्ति ही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं ।

7- **शैक्षणिक योग्यता-** कक्षा 6 उत्तीर्ण

8- मोवाईल नम्वर ....

9- आधार कार्ड नम्वर...

10- आचरण प्रमाण पत्र.......................................

11- राष्ट्रीयता...

उपरोक्तानुसार वर्णित वांछित सत्यापित अभिलेख दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा इस आशय का मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय का चिकित्सीय प्रमाण पत्र देना होगा कि मैं सेवा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ्य हूँ। नियुक्ति होने पर मैं शासकीय कार्य सत्यनिष्टा व ईमानदारी के साथ सम्पादित करूगॉ ।

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनायें मेरे नीजी जानकारी में सही व सत्य हैं । इसमें कोई वात छिपायी नही गयी है । यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो उसके प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा । मैं आवदन सम्वन्धित सभी नियम व शर्तो का पालन करूगॉ ।

दिनाकं:

आवेदक का हस्ताक्षर